न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी कमर चौधरी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 89/15 वाद

1. श्री लोगरिया उर्फ लोगर पिता वरदा जी डांगी, निवासी सापेटिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. श्री किशन पिता भीमा जी डांगी, निवासी सापेटिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती पन्नाबाई विधवा श्री भीमा जी डांगी, निवासी सापेटिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. गंगाबाई पुत्री श्री भीमा जी डांगी, पत्नी रामा जी डांगी, निवासी सापेटिया, हाल निवासी लोयरा तहसील, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. दल्ला पिता लाला जी डांगी, निवासी सापेटिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री रामा पिता लाला जी डांगी, निवासी सापेटिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री केसा पिता लाला जी डांगी, निवासी सापेटिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, गिर्वा, उदयपुर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत् बंटवाडा कराये जाने व जारी कराये शाश्वत निषेधाज्ञा

श्री मानाराम डांगी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित
श्री तुलसीराम डांगी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 4, 6 उपस्थित
श्री धनसिंह सिसोदिया अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 उपस्थित

निर्णय

दिनांक :

एक वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा में दिनांक 10.10.03 को वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। जो न्यायालय में दिनांक 16.10.03 को प्रकरण संख्या 169/03 वाद अनवान लोगरिया बनाम किशन दर्ज किया गया। प्रकरण तहसील बडगांव से सम्बन्धित होने से न्यायालय हाजा के न्याय क्षेत्र में होकर स्थानान्तरण से इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। जो दिनांक 17.6.15 को न्यायालय हाजा में पुनः प्रकरण संख्या 89/15 से दर्ज रजिस्टर किया गया।

वादी द्वारा अपने वाद में कथन किया है कि मौजा सापेटिया पटवार क्षेत्र सापेटिया, तहसील बडगांव की आराजी नम्बर 190, 192, 217, 218, 224, 225, 230, 231, 232, 233, 300, 385, 387, 410, 411, 1005, 1008, 1009 कुल किता 19 रकबा 1.2450 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की मौरूसी अविभाजित सम्पति होकर वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्सा है। सजरे अनुसार मूल पुरूष रता जी थे जिनका स्वर्गवास हो गया जिनके चार लडके लाला, वरदा, मगना, वाला हुए जिनमें से लाला का स्वर्गवास

हो गया। उनके चार लडके भीमा, दल्ला, रामा व केशा हुए जिनमें से भीमा का स्वर्गवास हो गया। उनका एक लडका किशन व एक लडकी गंगाबाई तथा विधवा पन्नाबाई है, जो प्रतिवादी गण है। वरदा जी का स्वर्गवास हो उनका एक लडका लोगरिया उर्फ लोगर है जो वादी है। मगना एवं वाला लाओलाद फौत हुए है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजीयात का कानुनी बंटवाडा नहीं हुआ है। इस कारण प्रतिवादीगण वादी से लडाई झगडा करते है। जिससे बंटवाडा करया जाना आवश्यक हो गया है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का बंटवाडा कराया जावे एवं प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजीयात में वादी के हिस्से के बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वादी के वाद का इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 को कई अवसर दिये जाने के बावजुद जवाब प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 10.12.2008 को प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 का जवाब बन्द किया गया।

वादी ने अपने साक्ष्य में स्वयं लोगर, रोडीलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5, 6 ने दिनांक 22.4.09 को आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1, 4, 6 की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा नही किये जाने से राजीनामा तस्दीक नहीं किया जा सका।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दस्तावेज नकल जमाबन्दी सम्वत 2056–2059 ग्राम सापेटिया प्रदर्श – 1 अनुसार वादग्रस्त आराजीयात श्री भीमा, दला, रामा, केशा पिता लाला 1/2 लोगरिया पिता वरदा 1/2डांगी के खाते दर्ज है एवं दस्तावेज नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 ग्राम सापेटिया ExD1A अनुसार नामान्तरकरण संख्या 413 दिनांक 5.2.09 अनुसार हक त्याग से आराजी नम्बर 190, 193, 233 कुल किता 3 रकबा 0.2500 हैक्टर में लोगरिया पिता वरदा डांगी 1/2 के बजाय (1) किशनलाल पिता भीमा (2) दला पिता लाला (3) रामा पिता लाला (4) केशा पिता लाला डांगी 1/2 हि.ब. के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरान्त न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आ.न. 190 रकबा 0.0600 हैक्टर, आ.न. 193 रकबा 0.1600 हेक्टर, आ.न. 233 रकबा 0.0300 हैक्टर में वादी श्री लोगरिया पिता वरदा डांगी के अपना हिस्सा प्रतिवादीगण श्री किशनलाल, दला, रामा, व केशा को हक त्याग कर दिये जाने से वादी की शेष वादग्रस्त आराजीयात का बंटवाडा मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर करने हेतु प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20.5.09 को जारी की गई।

तहसीलदार गिर्वा द्वारा उक्त पी.डी. आदेश 20.5.09 की पालना में अपने पत्रांक 336 दिनांक 24.1.2012 से पालना रिपोर्ट भेजी गई किन्तु उक्त पालना रिपोर्ट पर प्रतिवादी संख्या 5 को हिस्से अनुसार भुमि बंटवाडे में नहीं दर्शायी गयी जिससे प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने से पुनः बंटवाडा रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देश दिये गए।

तहसीलदार बंडगावं द्वारा पुनः दिनांक 27.7.17 को पी.डी. आदेश की पालना कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। बंटवाडा रिपोर्ट आपत्ति/बहस हेतु उभय पक्षकारान को अवसर दिया गया। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता तहसीलदार

बडगांव द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार बंटवाडा किये जाने हेतु सहमत हुए। जिससे उभय पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवाडा किया जाता है।

(1) श्री लोगरिया पिता वरदा डांगी के हिस्से की आराजीयात :–

आ.न.	रकबा	लगान
217	0.0900	2.71
224 मी.	0.0050	—
225 मी.	0.0100	—
231	0.0750	2.78
300	0.0500	1.85
385	0.0500	1.85
411	0.0700	2.59

कुल किता 7 रकबा 0.3500 हैक्टर लगान 11.78 रू.

(2) श्री दला, रामा, केशा पिता लाला 3/4 किशनलाल, गंगाबाई पिता भीमा 1/6 पार्वतीबाई पत्नी किशनलाल 1/12 डांगी के हिस्से की आराजीयात :–

आ.न.	रकबा	लगान
218	0.1000	3.01
224/1	0.0100	—
225/1	0.0100	—
230	0.0700	2.59
299	0.0400	1.48
387	0.0550	2.04
410	0.0650	2.41

कुल किता 7 रकबा 0.3500 हैक्टर लगान 11.53 रू.

(3) श्री दला, रामा, केशा पिता लाला 3/8 लोगरिया पिता वरदा 1/2 किशनलाल, गंगाबाई पिता भीमा 1/12 मावनीबाई पत्नी किशनलाल 1/24 डांगी के हिस्से की आराजीयात :–

आ.न.	रकबा	लगान
232	0.0500	0.17

कुल किता 1 रकबा 0.0500 हैक्टर लगान 0.17 रू.

उक्तानुसार पक्षकारान के मध्य मौजा सापेटिया, पटवार हल्का सापेटिया, तहसील बडगांव की उक्त आराजीयात का बंटवाडा किया जाता है। लाला पिता रामा के हिस्से पर रहन यथावत रहेगा। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हिस्से अनुसार कब्जे काश्त में दखलंदाजी न तो स्वयं करे न ही अन्य किसी के माध्यम से करावे। तहसीलदार बडगांव निर्णय एवं डिक्री अनुसार पालना करे। बंटवाडा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

कमर चौधरी
(आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर